



## भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

## INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

(बीमा दलाल) विनियम, 2018 (Insurance Brokers) Regulations, 2018 पंजीकरण प्रमाणपत्र CERTIFICATE OF REGISTRATION अनुसूची I - फार्म जे (विनियम 10 देखें) Schedule I - Form J (See Regulation 10)

पंजीकरण संख्या 772 Registration No.:

1. बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण इसके द्वारा डि.जि.स्.च. इ.अ.जि.स्.च. को उपर्युक्त अधिनियम के अधीन प्रत्यस्त करता है। जि.जि.स्.च. का उपर्युक्त अधिनियम के अधीन प्रत्यस्त है। In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 42D of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) the Authority hereby grants a certificate of registration to M/S. DIGISAFE INSURANCE BROKING PYT. UD. to act as DIRECT (LIFE & GENERAL) Mention details of Category) broker under that Act.

2. उक्त बीमा दलाल के लिए पंजीकरण कूट है. IRDAI/ DB861/2021

Registration Code for the insurance broker is. IRDAI/ DB861/2021

3. यह पंजीकरण प्रमाणपत्र 14:09:2021 से 13:09:2023 क वैध होगा।

This certificate of registration shall be valid from 14.09.2021 to 13.09.2024

4. यह पंजीकरण प्रमाणपत्र अधिनियम, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) एवं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के अधीन है तथा इसके संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि यह किसी अन्य अधिनियम, नियमों अथवा विनियमों के अनुसार अथवा उनके अनुरूप है।

This certificate of registration is subject to the Act, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) and Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Brokers) Regulations, 2018 and shall not be construed to be in compliance with or in conformity to any other Act, rules or regulations.

TETT Place: EGUIDIG / HY DERABAD

दिनांक Date: 14.09.2021

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए और उनकी ओर से

For and on behalf of Insurance Regulatory and Development Authority of India

By Order